न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3144/2003/धौलपुर

1. देवलाल
2. अमरसिंह
3. कैलाशचंद

–पुत्रगण कल्याणसिंह जाति लोधा निवासीगण बीलजपुर तहसील व जिला धौलपुर

....**अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण**

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र सियाराम जाति ब्राहमण निवासी कोठी धौलपुर
2. तहसीलदार, राशमी जिला चित्तौडगढ

.....**प्रत्यर्थीगण/वादीगण**

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे.के.पंत, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
विपक्षीगण अनुपस्थित, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय

दिनांकः– 19–12–2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा अपील सं. 60/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–06–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के समक्ष वादी बनवारीलाल ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 53, 54 व 188 के तहत ग्राम सकतपुर तहसील व जिला धौलपुर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 732

रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05–04–2000 को अपना जवाबदावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वादी के उक्त वाद पत्र में उपलब्ध रेकार्ड तथा बहस के मद्देनजर आज्ञा दिनांक 12–07–2002 पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने अपना आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि प्रश्नगत रकबा खसरा संख्या 732 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम सकतपुर तहसील धौलपुर का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस किए जाने के आदेश देते हुए तहसीलदार धौलपुर से विवादित आराजी में वादी के 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के 1/2 भाग के कुरेजात प्रस्ताव तलब किए। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 12–07–2002 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प– धौलपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–06–2003 से खारिज करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को यथावत रखा। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की।

3. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में एकपक्षीय बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय उपलब्ध रेकार्ड व विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किए जाने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। उनका कहना है कि विचारण न्यायालय ने वादी के वाद में ट्रायल किए बगैर तथा विवाद्यक कायम किए बगैर तथा यही नहीं वादी ने अपने वाद को साक्ष्य से प्रमाणित न कराने के विपरीत वादी के वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर भूल की है। उनका आगे कहना है कि विचारण न्यायालय ने कार्यवाही में प्रतिवादीगण को नियमानुसार जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया है। उनका आगे कहना है कि विचारण न्यायालय

के समक्ष प्रतिवादीगण के जवाब को आधार मानकर उसके आधार पर विवाद्यक कायम करने चाहिए थे। उनका तर्क है कि चूँकि वादी का वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जो कि कब्जे के अभाव में प्रमाणित नहीं था। यहीं नहीं वादी ने पारिवारिक सजरा भी वाद की कार्यवाही पेश नहीं किया है। उनका यह भी तर्क है कि वादी प्रश्नगत रकबे का 1/2 हिस्से का खातेदार किस प्रकार है, इस बाबत उसके द्वारा किसी प्रकार की साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है। उनका आगे तर्क है कि जब वादी के वाद को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने की स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह दायित्व था कि उनकी अपील में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक बाबत अपना अभिमत प्रकट करते, किन्तु ऐसा नहीं कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के विधिक प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित निर्णय पारित कर गंभीर अनियमितता की है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील को स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13-06-2003 एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12-07-2002 को निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बारीकी से मूल्यांकन किया।

6. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के समक्ष वादी बनवारीलाल ने एक वाद अन्तर्गत अधिनियम की धारा 53, 54 व 188 के तहत ग्राम सकतपुर तहसील व जिला धौलपुर स्थित विवादित आराजी खसरा संख्या 732 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 05-04-2000 को अपना जवाबदावा पेश कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने वादी के उक्त वाद

पत्र में उपलब्ध रेकार्ड तथा बहस के मद्देनजर आज्ञा दिनांक 12–07–2002 पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय ने अपना आदेश इस आशय के साथ पारित किया कि प्रश्नगत रकबा खसरा संख्या 732 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम सकतपुर तहसील धौलपुर का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाऊण्डस किए जाने के आदेश देते हुए तहसीलदार धौलपुर से विवादित आराजी में वादी के 1/2 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के 1/2 भाग के कुरेजात प्रस्ताव तलब किए। उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित उक्त प्राथमिक डिक्री दिनांक 12–07–2002 के विरूद्ध अपीलार्थीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–06–2003 से खारिज करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री को यथावत रखा।

7. हमारे समक्ष अपीलार्थीगण का आक्षेप है कि विचारण न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिवादीगण को अपना जवाबदावा पेश करने का न्यायालय ने विधिनुसार अवसर प्रदान नहीं किया है तथा न्यायालय को जवाबदावा पेश करने हेतु उदारता का रूख अपनाते हुए उसे पेश करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। हमारे द्वारा विचारण न्यायालय की आदेशिका का विधिनुसार परीक्षण किया गया है, जिसके द्वारा हम पाते है कि मूल वाद की कार्यवाही में प्रतिवादीगण को अपना जवाबदावा पेश करने का समुचित अवसर न्यायालय द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थीगण का कहना था कि जवाबदावा पेश करने हेतु न्यायालय को उदारता का रूख अपनाना चाहिए। इस बाबत उल्लेखित है कि न्यायालय को कानून में विहित प्रक्रियानुसार ही कार्यवाही सम्पादित की जानी होती है। अतः इस बाबत अपीलार्थीगण द्वारा लिया गया आक्षेप निरोधार पाया जाता है।

8. प्रकरण की गुणावगुण पर स्थिति यह है कि जमाबंदी सम्वत 2055–2058 प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा संयुक्त रूप से अभिलिखित होकर खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन है। उक्त राजस्व अभिलेख से प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि वादी प्रश्नगत रकबे पर 1/2 हिस्से का खातेदार है। स्थिति यह प्रकट होती है कि पक्षकारान

रेकार्डेड खातेदारान है। विधायिका की भी यह भावना है कि एक सहखातेदार का कब्जा अन्य सहखातेदार का कब्जा माना जाता है। इसके अतिरिक्त धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादीगण द्वारा उद्धरित किया गया कि वादी का प्रश्नगत रकबे पर कब्जाकाश्त नहीं है, जबकि उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर वादी का 1/2 हिस्से पर खातेदारी दर्ज है। सारांशतः यह परिलक्षित होता है कि आराजी पर वादीगण का कब्जाकाश्त है। प्रकरण का विधि के दृष्टिकोण से सम्यक परीक्षण करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के विधि सम्मत समवर्ती निष्कर्ष है।

9. हस्तगत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष अंकित किए है। समवर्ती निर्णयों के संबंध में विभिन्न न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त निम्न प्रकार हैः–

2009 डीएनजे एससी पेज 385 "Excercising jurisdiction under section 100 CPC - interference in finding of facts without formulating the substantial question of law is illegal."

एआईआर 2001 एससी पेज 2282 "CPC Sec 100 - The finding of fact recorded by the first appellate court based on evidence could not be interfered with by the High Court that too in the absence of any substantial question of law that arose for consideration between the parties."

एआईआर 2002 पेज 2849 "on perusal of the judgment of the High Court and on consideration of the matter we do no find that the judgment suffers from any serious illegality or infirmity which calls for interference in the appeal filed by special leave".

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार द्वितीय अपील के स्तर पर जब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि यह सिद्ध नहीं हो कि कोई विधिक त्रुटि कारित की गई हो। हस्तगत प्रकरण में हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है, इसलिए दोनों के समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थीगण ने अपील मीमो में असंगत आधारों को अभिवचित करने के कारण उन्हें किसी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को यथावत कायम रखा जाना समीचीन प्रतीत होता है।

11. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन/बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प–धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13–06–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12–07–2002 को यथावत बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य